



157

मित्रो 26/6/15
न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश न्यायालय

प्रकरण क्रमांक:

प्रकरण क्रमांक
न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश न्यायालय
मुख्य अधिकारी
मुख्य अधिकारी
मुख्य अधिकारी

/ 2015 निगरानी

रत्नेश्वर मुख्य हक्के राम, जाति अहिंसक, आयु 50
वर्ष, निवासी ग्राम गहोरा तहसील इसागढ़,
जिला अशोक नगर, द्वारा मुछत्याराम गृहित
श्रीमती मधुरोबाई पली रत्नेश्वर मुख्य हक्के राम, जाति अहिंसक
निवासी ग्राम गहोरा, तहसील इसागढ़, अशोक
नगर
— निगरानी कर्ता

बनाम

1- देवीनिव पुरुष सुन्दरलाल ग्राम भोहचार तहसील
इसागढ़, जिला अशोक नगर,
2- राजेन्द्र कुमार पुरुष सुन्दरलाल निवासी ग्राम भोहचार
जिला अशोक नगर —प्रति-निगरानी कर्ता

फूरीकाण याचिका अन्तर्गत द्वारा 50 म.प्र. मुख्य राजस्व
निवासी 1959, छ्वारा पारित अदेश न्यायालय तहसील द्वारा
परगना इसागढ़, जिला अशोक नगर, म.प्र. द्वारा प्रकरण
क्रमांक 14/12/ 14-15 अदेश क्रमांक 19-06-2015 वे
अदेश सहुचित होकर फूरीकाण याचिका विधि अद्यारो
पर माननीय न्यायालय में समय सीमा में प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय निगरानी कर्ता की ओरेख निगरानी निम्नप्रकार

प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

== == == == == ==
1- सदृश्य अक्षयनी इस प्रकार है कि प्रतिप्रदीगण द्वारा अपनी

नवरी



न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 2666-एक / 2015 जिला-अशोकनगर

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभावकों
आदि के
हस्ताक्षर

25.2.19

आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 एन0 उपमन्यु उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 14/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19.06.15 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-

धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-

(ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।

3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों।

पेशी दिनांक 29/4/19

अनुविभागीय अधिकारी जिला अशोकनगर

सदस्य